Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-56/2025-26]
Bidiya Nand & Anr.....Appellants.
Versus
Kapleshwar Mandal & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	28.2.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-59/2024-25 में दिनांक-25.4.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
डगरूआ	अधखैली/ 304	266	1026	1 एकड़ 21 डी.

दिनांक 05.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। विपक्षी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके पूर्वज के नाम से सिकमी खाता सं.-50 खेसरा सं.-1026 के रूप में खतियान में दर्ज है। विपक्षी के द्वारा उक्त जमीन से बेदखल किये जाने के कारण उनके स्तर से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में बटाईदारी वाद सं.-1/2019-20 दायर किया गया। जिसमें उनके मामले को खारिज किये जाने के आलोक में उनके द्वारा बी.एल.टी. वाद सं.-235/2025 दायर किया गया। जो वर्त्तमान में लंबित है। उनका यह भी कहना है कि उनके दादा एवं पिता की मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत जमीन पर उनका लगातार दखल-कब्जा रहा है। तथा यह कि विपक्षी का उक्त जमीन पर कभी भी दखल नहीं रहा है। अतः अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। जबकि विपक्षीगण का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनकी खानदानी जमीन है जो उनके पूर्वज महावीर मंडल एवं अर्जुन मंडल के नाम से खतियान में दर्ज है। उनका कहना है कि उनके पूर्वजों की मृत्यु के उपरान्त प्रश्नगत जमीन पर उनलोगों का लगातार दखल-कब्जा रहा है। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन पर उनलोगों के नाम से जमाबंदी कायम है एवं बिहार सरकार को अद्यतन लगान दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर सिकमी खतियानधारी के रूप अपीलार्थी के पूर्वज ढ़ोढ़ाई ततमा का नाम दर्ज है। तथा यह कि ढ़ोढ़ाई ततमा द्वारा लदावीनामा दस्तावेज सं.-10116 दिनांक-22.6.1964 के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का सिकमी हक विपक्षी के पूर्वज को वापस कर दिया गया है। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी का दावा उचित नहीं है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन

	28.2.2026	का खतियान महावीर मंडल एवं अर्जुन मंडल के नाम से दर्ज है। खतियान के कॉलम-7 में सिकमी ढ़ोढ़ाई ततमा दर्ज है। अपीलार्थी की ओर से इस मामले के संदर्भ में बी.एल.टी. वाद सं. -235/2025 दाखिल रहने का तथ्य उपस्थापित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश उक्त बी.एल.टी. वाद सं.-235/2025 दायर रहने के बावजूद पारित किया गया है। जो यथोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त Findings के आधार पर निम्न न्यायालय के प्रासंगिक आदेश को स्थगित करते हुए उभय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि उक्त बी.एल.टी. वाद सं.-235/2025 में अपना पक्ष रखते हुए आदेश प्राप्त करें। उक्त बी.एल.टी. वाद में आदेश पारित होने तक प्रश्नगत जमीन पर Status quo (राजस्व अभिलेख एवं सरजमीन पर) Maintain रखा जाय। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 28/2/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 28/2/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया